प्रतिस्पर्धा विधि पर राज्य कार्यशाला–'प्रतिस्पर्धा के लाभ'

- ***स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से आर्थिक प्रगुणता व उपभोक्ता हित पुष्ट होते हैं : मुख्य सचिव***
- ***प्रतिस्पर्धा कानून के समुचित प्रयोजन के लिए जानकारी, प्रचार व दिशा–निर्देश महत्वपूर्ण हैं : अनुराग गोयल, सदस्य–सीसीआई***
- ***राज्य में प्रतिस्पर्धा कानून को लागू करने व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई स्टीयरिंग कमेटी व आईआईडीसी की अध्यक्षता में बना कोर ग्रुप***
- ***उ.प्र. राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को प्रतिस्पर्धा कानून के प्रचार–प्रसार हेतु बनाया गया एंकर संस्थान***

लखनऊ, 24 जनवरी 2014:

"प्रतिस्पर्धा ग्राहकों के लिए व्यावसायिक उद्यमों के मध्य स्वस्थ प्रतिद्वन्दता की प्रक्रिया होती है, जो एक लचीली व गतिमान बाजार जनित अर्थ–व्यवस्था की मूलभूत विशेषता है।" "कम मूल्य व उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं व सेवाओं की माँग को पूर्ण करने हेतु व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी कम कीमत पर उत्पादकता बढ़ाने, निवेश करने, उत्पाद व प्रक्रियाओं को नवीनता प्रदान करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे आर्थिक क्षमता व उपभोक्ता हितों को प्रोत्साहन मिलता है।" यह उद्‌गार **मुख्य सचिव, श्री जावेद उस्मानी** ने यहाँ पर्यटन भवन में **'प्रतिस्पर्धा के लाभ' विषय पर आयोजित कार्यशाला** का उद्‌घाटन करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि **उ.प्र. में** स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए **मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी** व **आईआईडीसी की अध्यक्षता में कोर ग्रुप** तथा **उ.प्र. राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी** को प्रतिस्पर्धा कानून के प्रचार–प्रसार हेतु **एंकर संस्थान** बनाया गया है।

इस कार्यशाला में विभिन्न मुद्‌दों जैसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India-सीसीआई) का कार्यक्षेत्र व अधिकार, सरकारी या सार्वजनिक खरीद व आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा के लाभ, प्रतिस्पर्धा से संबंधित अन्य बिन्दु, निविदा प्रक्रिया के अनुश्रवण, निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी तथा व्यवसाय व व्यापार में स्वच्छ व पारदर्शी कार्यप्रणाली से उपभोक्ताओं को लाभ पर चर्चा हुई। **हालांकि चर्चा का मुख्य विषय** सरकारी या सार्वजनिक खरीद व आपूर्ति हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा विधि (कानून) की प्रयोज्यता रहा।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के अधिकारियों, राज्य सरकार के 44 विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों व औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए **मुख्य सचिव ने कहा** कि उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय बाज़ार के वाणिज्यिक मामलों हेतु एक सशक्त कानून की आवश्यकता हुई, इसीलिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम–2002 (Competition Act, 2002) बनाया गया।

कार्यशाला के आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए, **सीसीआई के सदस्य श्री अनुराग गोयल ने बताया**– *".भारत में प्रतिस्पर्धा कानून अनुभवों व कार्यशैली के आधार पर अभी विकसित ही हो रहा है, हमको एक अन्य प्रकार के 'कैग'– 'के' से नॉलेज, 'ए' से एडवोकेसी व 'जी' से गाइडेन्स को अंगीकार कर इसको पुष्ट करने के लिए कदम उठाने होंगे।"* उन्होंने बताया कि इस समय सीसीआई लगभग 100 प्रकरणों पर जांच कर रहा है।

उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्य– प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कार्यशैली को समाप्त करना, बाज़ार में प्रतिस्पर्धा को पोषित व प्रोत्साहित करना, उपभोक्ताओं के हितों तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता की रक्षा करना है।

अनुराग गोयल ने कहा कि सरकारी नीतियों में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए फिलहाल तो आयोग नीतियों का अध्ययन कर केवल सरकारों को सुझाव दे रहा है, किन्तु भविष्य में सीसीआई सरकारी नीतियों के प्रतिस्पर्धा विरोधी होने पर कार्यवाई भी करेगा।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के फायदों पर बोलते हुए, **सीसीआई की विधि सलाहकार, डॉ साधना शंकर ने कहा**– *"स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से कीमत में कमी आती है, वस्तुओं व सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी होती है, उपभोक्ता को कई विकल्प उपलब्ध होते है तथा उपभोक्ता वस्तुओं में नवीनता लाने का महौल बनता है, जिससे अर्थ–व्यवस्था सुदृढ़ होती है व उपभोक्ताओं के हितों का संवर्धन होता है।"* **उन्होंने** प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यक्षेत्र, अधिकारों व कानून में प्राविधानित दण्ड व आयोग को प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों को सूचित करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया। सीसीआई न केवल नागरिको व सरकारी सूचना पर कार्यवाई करता है अपितु स्वतः भी प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों का संज्ञान ले सकता है।

इससे पूर्व सीसीआई के सदस्य व अधिकारियों तथा अन्य प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए **अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, श्री आलोक रंजन ने कहा**– *"मुक्त प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य बिना किसी बाधा के उच्चतम स्तर या आकार प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण स्वतंत्रता है। सीमा निर्धारण की आवश्यकता प्रतिस्पर्धा शक्ति के लिए है, न कि आकार के लिए।"*

इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यू.पी. (पिकप) ने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सहयोग से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहल पर किया। इसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों यथा– खाद्य प्रसंस्करण–ज्योतिका पाटणकर, आईटी–इलेक्ट्रॉनिक्स व वैकल्पिक ऊर्जा–जीवेश नन्दन, पशुपालन–योगेश कुमार, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी–हर सरन दास, स्टाम्प व रेजिस्ट्रेशन–बृज मोहन मीना, उ.प्र. राज्य प्रशासन व प्रबन्धन अकादमी के महानिदेशक नेतराम आदि सहित सार्वजनिक प्रोक्योरमेंट से संबंधित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों व सचिवों ने भाग लिया।

राज्य के अधिकांश महत्वपूर्ण विभागों के उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में *सरकारी या सार्वजनिक खरीद तथा प्रतिस्पर्धा के मुद्दे* जैसे प्रासंगिक विषय पर विचार–विमर्श किया गया। इस विषय पर बोलते हुए **सीसीआई के उपनिदेशक–विधि, डॉ वी के सिंह ने बताया** कि 'सार्वजनिक खरीद के निर्देशों' (Public Procurement Directives) को लागू करने से यूरोपीय देशों ने लागत में काफी बचत करने में सफलता प्राप्त की है।

उन्होंने कहा– *"सरकारी खरीद के बड़े स्तर के दृष्टिगत् इसकी प्रक्रिया व पद्धति में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए इनको पारदर्शी व निष्पक्ष बनाया जाना आवश्यक है।"*

डॉ सिंह ने कार्यशाला में बिडिंग प्रक्रिया में हेराफेरी या भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया। कार्यक्रम में निविदा प्रक्रिया के अनुश्रवण व पूरे विश्व में प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यशैली को चिन्हित करने हेतु सूचना प्रोद्यौगिकी के उपयोग पर विस्तार से बताया गया। बिडिंग में भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए विपणन सूचना, जागरुकता, स्पष्ट विनिर्देश, सुपरिभाषित निविदा प्रक्रिया तथा पारदर्शी मूल्यांकन मानकों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने प्रतिस्पर्धा कानून के दायरे में आने वाले सम्भावित क्षेत्रों के बारे में बताया।

कार्यशाला में प्रतिभाग करने के लिए सभी का धन्यवाद करते हुए, **प्रबन्ध निदेशक, पिकप व सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास– श्री धीरज साहू** ने प्रतिस्पर्धा विधि के गूढ़ सिद्धान्तों व उनके उपयोग को सुग्राही बनाने के लिए सीसीआई के सदस्य व अधिकारियों का विशेष आभार व्यक्त किया।